विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान सरकार

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

स्था/डीईएस/सं./नियुक्ति/2011–12/ 25876 **दिनांक** 19/06/2013

राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संगणकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। आवेदक को आवेदन – पत्र (Online Application Form) भरना अनिवार्य है। आवेदक आवेदन–पत्र (Online Application Form) 19 जून, 2013 से URL: http:// www. examstatistics. rajasthan.gov.in पर एवं विभाग की वेबसाइट **http:// www.statistics.rajasthan. gov.in** से भर सकेंगें। आवेदन – पत्र भरने की अन्तिम तिथि–दिनांक 18 जुलाई, 2013 रात्रि 12.00 बजे हैं । (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जायेगा) । **आवेदक ऑनलाईन परीक्षा शुल्क ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से दिनांक 17 जुलाई, 2013 तक ही जमा करा सकता है।** अतः इस हेतु आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

विशेष नोट :–

(i) Online Application Forme में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

नोट :–

(अ) अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से नोट कर लें । यह भी ध्यान दें कि आवेदन–पत्र क्रमांक ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर नहीं है, बल्कि आवेदन–पत्र भरने के उपरांत कम्प्यूटर से जारी किया गया आवेदन क्रमांक है।

(ब) यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन–पत्र क्रमांक भूल गया है तो वेब–साइट पर अपना टोकन नम्बर और जन्म तिथि भरकर आवेदन–पत्र क्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

1. आवेदन प्रक्रिया :–

(क) आवेदन Online Application Formमें लिये जायेंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित **ई–मित्र कियोस्क** या **जन सुविधा केन्द्र** (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/–(रुपये 20/– आवेदन–पत्र भरने हेतु +रुपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र** पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर **URL:-examstatistics.rajasthan.gov.in** पर एवं विभाग की वेबसाइट **http://www.statistics.rajasthan.gov.in** पर स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा।

ऑनलाइन आवेदन–पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 20/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी रूप में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगें।

(ख) ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से परीक्षा शुल्क के भुगतान की सुविधा के लिए ई–मित्र पोर्टल पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को यथावत उसी प्रकार से विभाग के ऑनलाइन फार्म में भरें।

(ग) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है।

(घ) परीक्षा शुल्क के भुगतान के अन्य माध्यम की सुविधा लागू होने पर यथा समय सूचित कर दिया जाएगा।

2. प्रवेश–पत्रः–विभाग द्वारा समस्त ऑनलाईन आवेदनों में वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश–पत्र जारी किये जायेंगे और विभाग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाइट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के **ई–मेल आई.डी. (e-mail ID) एवं मोबाइल नंबर** पर भी भेजी जा सकती है।

3. परीक्षा शुल्क –आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप संगणक के पदों हेतु निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से विभाग को भेजे :–

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – रुपये 300/–

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– रुपये 200/–

(ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– रुपये 100/–

(घ) समस्त विशेष योग्यजन आवेदक हेतु– रुपये 100/–

नोट :–

(i) ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 30/– (रुपये 20/– आवेदन–पत्र भरने हेतु + रुपये 10/–परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

(iii) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं।

(iv) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त **ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) की सूची सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की वेबसाइट** पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई–मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) नहीं हैं वे **सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग** की वेबसाईट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं।

4. संगणकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

<u>पदों का विवरण</u>

क्र. सं.	पदनाम	कुल पद	सामान्य		अनु.जाति.		अनु.जनजाति		पिछड़ा वर्ग		वि.पिछड़ा वर्ग	
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	संगणक	523	183	78	59	25	44	19	77	33	03	02
	(टीएसपी)	45	16	07	01	01	14	06	0	0	0	0
	(बैकलॉग)	04	0	0	02	0	02	0	0	0	0	0
	कुल पद	572	199	85	62	26	60	25	77	33	3	2

	संगणक
विशेष योग्यजन	16
भूतपूर्व सैनिक	65
उत्कृष्ट खिलाड़ी	10
विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी	65

नोटः–

(1) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा ।

(2) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण **क्षैतिज** (Horizontal) रूप से **प्रवर्गानुसार** (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन–क्रीमीलेयर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(3) महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिये तथा 2 प्रतिशत पद विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिये आरक्षण रखा गया है अर्थात महिलाओं हेतु कुल 30 प्रतिशत आरक्षण में से 10 प्रतिशत प्रवर्गानुसार आरक्षण (8 प्रतिशत + 2 प्रतिशत = 10 प्रतिशत) विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिये, शेष 20 प्रतिशत आरक्षण अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिये है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(4) विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए :–

(अ) राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शायी गयी अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

Hearing Impairment

P.D.- Partially deaf

(ब) विशेष योग्यजन के लिऐ दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्यवर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा, उसी वर्ग में समायोजित किया जायेगा ।

(स) उपरोक्त दर्शाये गये विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जायेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के अनुसार उपरोक्त विशेष योग्यजन व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो, वहाँ ऐसी रिक्ती को अग्रणीत किया जाएगा।

(द) विशेष योग्यजन आवेदक OnlineApplication Form **में** यथा स्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, को अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष योग्यजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

5. शैक्षणिक योग्यताएँ :–

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र** में से कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि

या

भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट–I(ABC) का प्रमाण पत्र

एवं

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा प्रदत्त **(राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित आर.एस.सी.आई.टी.पाठ्यक्रम)** प्रमाण–पत्र ।

या

इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओइएसीसी (NIELIT) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ओ.प्रो.स.)/डाटा प्रपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्र.क.सो.) प्रमाणपत्र।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन/सूचना प्रोद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा ।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रोनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा ।

परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिये पात्र होगा किन्तु उसे परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जायेगा ।

6. आयु:– आवेदक **1 जनवरी, 2014** को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तुकः–राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/ कार्मिक/ ए–II / 2008 दिनांक 23.9.2008 के क्रम में "जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा किन्तु यह **छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं** दी जावेगी।

(1) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु में –

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में **5 वर्ष की छूट** दी जायेगी। राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा ।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के मामले में **5 वर्ष की छूट** दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में **10 वर्ष की छूट** दी जायेगी।

स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(2) पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये **अधिकतम आयु सीमा 40** वर्ष होगी।

(3) राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिकों के लिये **अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष** होगी।

(4) रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए **अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष** होगी ।
भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार **उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च्य आयु सीमा दो वर्ष तक** शिथिलन योग्य होगी ।

(5) विधवाओं और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में **कोई आयु सीमा नहीं** होगी।
स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिक्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा ।

(6) **कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार** के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(7) **सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।**

(8) विभागीय मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनके लिये पद आरक्षित रखे जाने हैं, के मामलों में नियमानुसार **अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष** होगी।

(9) राजस्थान विशेष योग्यजन का नियोजन नियम, 2000 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए **10 वर्ष,** पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए **13 वर्ष** तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए **15 वर्ष** की छूट होगी।

(10) निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होने विभाग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो, बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।

(11) भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र था, के लिये अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(12) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।

उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cummulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । **एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा । उपरोक्त के अतिरिक्त (यदि कोई हो) अन्य मामलों में नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।**

7. वेतनमान व अन्य सुविधायें:–

संगणक के पद पर पे–बैण्ड I में 5200–20200 की ग्रेड पे 2400/–में दो वर्ष के प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में 7900/– प्रतिमाह फिक्सड राशि देय होगी। "ऐसे किसी अभ्यर्थी जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद के विज्ञापन में अन्यत्रा यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा। "अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं ।

पेंशनः–नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अन्तिम दिनांक–

आवेदक आवेदन–पत्र (Online Application Form) 19 जून 2013 से URL:- http://www.**examstatistics.rajasthan.gov.in** पर एवं विभाग की वेबसाइट **http://www.statistics.rajasthan.gov.in** से भर सकेंगें। आवेदन – पत्र भरने की अन्तिम तिथि–दिनांक 18 जुलाई 2013 रात्रि 12.00 बजे हैं । (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जायेगा) । **आवेदक ऑनलाईन परीक्षा शुल्क ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से दिनांक 17 जुलाई, 2013 तक ही जमा करा सकता है।** अतः इस हेतु आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

9. परीक्षा का स्थान, माह एवं योजना तथा चयन का आधारः–

परीक्षा सम्भवतया **अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह** में जयपुर मुख्यालय पर आयोजित करवाई जायेगी। आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर में भी आयोजित कराई जा सकती है। अभ्यर्थी संबंधित एक संभाग मुख्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ वे परीक्षा देना चाहते हैं।

निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार लिखित परीक्षा होगी जो 100 अंकों की वस्तुपरक आधारित 2 घण्टे की परीक्षा होगी जिसमें 100 बहुविकल्पित प्रश्न होंगे । राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित विशेषांक 31 अक्टूबर, 2012 भाग 4 (ग) उपखण्ड (1) कार्मिक (क–2) विभाग (अधिसूचना) जी.एस.आर. नियम 70 के संशोधित नियम 19 के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति के लिये लिखित परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित किये जाने वाले अनुदेशों और पाठ्य विवरण के अनुसार संचालित की जायेगी और वरीयता सूची ऐसी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की

जायेगी। न्यूनतम अर्हक अंक परीक्षा के कुल अंकों के 40 प्रतिशत होंगे। परन्तु यह और कि किसी अभ्यर्थी के पात्र होने या अन्यथा के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर ही परीक्षा में प्रवेश, बिना आवेदन पत्र/दस्तावेजों की जाँच किये, प्रोविजनल आधार पर दिया जायेगा । तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र/दस्तावेजो की विस्तृत जाँच की जायेगी । **जाँच के दौरान यदि अभ्यर्थियों की योग्यता, आयु ,जाति इत्यादि में कोई कमी या अपात्रता पायी जाती है तो आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए अयोग्य माना जावेगा तथा उसे नियुक्ति सम्बन्धी आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।**

स्पष्टीकरण :-

विभाग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है । यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा **अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।** परीक्षा में **प्रवेश, अभ्यार्थियों को पूर्णतया प्रोविजनल आधार पर दिया जायेगा । आवेद**न पत्रों की विस्तृत जाँच, लिखित परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों की ही की जायेगी । जाँच के दौरान किसी कारणवश अयोग्य पाये जाने पर आवेदक को अपात्र घोषित किया जा सकेगा।

10.लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नानुसार है :-

SYLLABUS OF THE COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF COMPUTOR

There shall be one compulsory paper for the candidates for the post of Computor comprising of two parts as under- 100 Marks/2 Hours

(i) General Knowledge & Every-day Science. 30 Marks

(ii) Elementary Knowledge of Mathematics, 70 Marks
Economics & Statistics.

Scope of Paper

(i) GENERAL KNOWLEDGE & EVERY-DAY SCIENCE

It includes knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience of their scientific aspects as may be expected from an educated person who has not made a special study of any special subject.

(ii) ELEMENTARY MATHEMATICS, ECONOMICS & STATISTICS.

The paper will be set to test the knowledge of the candidates in the subject. Questions to be set will include decimal, fraction, percentage, ratio and proportion, averages, simple and compound interest, squre roots, simple equations, Economic Development of India with special reference to Rajasthan.

11. आवेदन कैसे करें :– अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्यवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

12. अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में:– सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हो या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा विभाग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

13. नियुक्ति के लिये अयोग्यताः–

(1) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

(3) किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट,1961 (सेन्ट्रल एक्ट,28 ऑफ 1961) में है। निर्धारित प्रपत्र व शपथ पत्र संलग्न करें।

(4) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में सलंग्न प्रपत्र में अंकित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

(5) राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पायेंगे।

(6) ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होतीः–

परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

14.अनुचित साधनों की रोकथामः—

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा । ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्व विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरूद्व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

15. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा :—सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न—उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्तियों का नियोजन नियम में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उन्हें परीक्षा के पूर्व विभाग को प्रार्थना—पत्र वांछित प्रमाण—पत्र सहित प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

16. कृपया ध्यान दें : —

i. Online Application Form आवेदन—पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन—पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही—सही एवं पूर्ण भरी गई है । समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा अथवा OnlineApplication Form में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

ii. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि Online Application Form भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन एवं OnlineApplication Form भरने के निर्देशों के साथ—साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

iii.विभाग द्वारा, Online Application Form में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु,योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जायेगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका Online Application Form अस्वीकृत कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। Online Application Form में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जायेगा ।

17. प्रमाण—पत्रों का सत्यापन :—आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ (जो कि परीक्षा में सफल होने पर) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :—

(अ) जाति प्रमाण—पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है ।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं ।

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन का प्रमाण–पत्र On lineApplication Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिये अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।

(द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को On line Application Form पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा ।

(य) पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है ।

(ल) विशेष योग्यःजन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें विशेष योग्यःजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि Online Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए ।

नोट :–विभाग द्वारा आवेदकों को परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। विभाग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

विशेष टिप्पणी :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को प्रस्तुत करेगा। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का विचारनहीं किया जायेगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आ सकते हैं । परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश–पत्र या विभाग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर

सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित् नहीं की जा सकती है।

(5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(6) विभाग से पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर करें :–

<u>निदेशक/परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पिन कोड नं. 302005.</u>

<u>आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाइटः–</u>

उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट **http://www.statistics.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005 के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0141–5167100 एवं 0141–5167103 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

19/6/13

निदेशक एवं पदेन उप सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग